📢 कटौतीकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट: सुधार विवरण दाखिल करने की समय सीमा में कमी

1. नए आयकर प्रावधानों के तहत महत्वपूर्ण बदलाव

• सुधार विवरण (टीडीएस/टीसीएस) दाखिल करने की समय सीमा घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है।
• पहले, कटौतीकर्ताओं के पास दाखिल टीडीएस/टीसीएस रिटर्न में त्रुटियों को सुधारने के लिए अधिक समय होता था।
• अब, नए प्रावधानों के तहत, मूल विवरण दाखिल करने की तिथि से बहुत कम समय सीमा के भीतर सुधार दाखिल करना होगा।
• पहले 6 वर्ष की अनुमति थी, अब केवल 2 वर्ष है।

---

2. कटौतीकर्ताओं के लिए यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है

- ब्याज, दंड और अस्वीकृतियों से बचने के लिए समय पर अनुपालन महत्वपूर्ण है।
- सही पैन, चालान और कटौती विवरण कटौतीकर्ताओं को सुचारू रूप से क्रेडिट सुनिश्चित करते हैं।
- समय पर त्रुटियों का सुधार न किया जाना कर्मचारियों/विक्रेताओं पर सीधा प्रभाव डाल सकता है और विवाद पैदा कर सकता है।

---

3. ध्यान दें:

- समय सीमा में कमी, तेज़ समाधान और वास्तविक समय अनुपालन की दिशा में एक कदम है।
- कटौतीकर्ताओं को सटीक विवरण दाखिल करने और समय पर सुधार करने में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- दंड से बचें और अपने कटौतीकर्ताओं के हितों की रक्षा करें।